

अनु-पाः कृद् दशाओं में काम, शिधा व लोक सहायता पात्रे

का अधिकार

विशेष परिस्थिति

काम, शिधा व नगोवचित दशाए
↳ अशिक्षित, बुजुर्ग विकलांग
↳ योग्यता

। शकी पास - पुलिस, सेना, BSSC

⇒ अशिक्षित - मजदुरी - मजदुरी

⇒ बुजुर्ग - वृद्धापेंशन -

↳ अनाज योजना

⇒ विकलांग - दिव्यांग पेंशन

अनु०-५२:-

काम की व्यायसंगत दृश्याये तथा स्त्री प्रसुति सहायता

↳ काम के बढ़ते पारिभ्रमिक

↳ गर्भवती स्त्री
||
काम से डु डरी

↓
प्राकृतिक व्याय.

अनु०-५३:-

भ्रजपुरी के जीवन निर्वाह के लिए अल्पतम भ्रजपुरी
का प्रावधान-

✓ मन्देशा-२०४/दिज.

↳ कुटिर लघु उद्योग.

अनु-43-A :- मजदुरों का प्रबंध में आगीदारी



पूर्व-CA-A-1976

↳ Management

अनु-43-ब :- राज्यों सहकारिता का प्रावधान ✓

⇓
PPP मॉडल

⇓
Public Private Partnership

सरकारी निजी भागीदारी

अनु०-५५- U.C.C - समान नागरिक संहिता

↳ Uniform Civil Code.

↳ राज्य के नागरिकों.

अनु०-२९

↳ यह गोवा राज्य में लागू है।

“शाहबाजी वेग का मामला- 1986- तीन ललाक”

^{अनु०} अनु०-५५- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान -

आगवारी व्यवस्था।

A-संशोधन
व-अध्याय

gyp
अनु-47:

पोषकत्व एवं पोषाहार का प्रावधान तथा मध्य विषेध



→ Mid day Meal - योजना - 1975

↓
नशिला पदार्थ

↓
शराब-बन्दी

अनु-46:

महिला, SC/ST व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए

अर्थ में हुट का प्रावधान

↓
उधन.

अनु०-५४ :- कृषि एवं पशुपालन और गोबन्ध निषेध
↳ गाय बद्ध नहीं।

↳ आधुनिक यन्त्र - प्रयोगशाला - राज्य.

↳ दुग्धारु पशु → अनुसंधान.

↳ बोज

भा०-५४-आ :-

↳
पशुवा-८-आ-आ-१९७६

व-य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान
↳ वन + व-य जीव

अनु०-५१:- राष्ट्रीय स्मारकों एवं धरोहरों का संरक्षण राज्य के द्वारा किया जाएगा।

अनु०-५०- कार्यपालिका और व्यापक पालिका का पृथक करण अलग।

कार्यपालिका के मामले में व्यापक हस्तक्षेप नहीं करेगा।

Group

अस-51

जोड़ा अस 253

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सुरक्षा एवं लोक

अविर्वाह का प्रावधान

↳ बढ़ावा

Ex- बिहार राज्य

→ नेपाल

अन्तर्राष्ट्रीय संधि

भारत + राज्य + अगता

सापेक्ष

भाउ-३६-राज्य

भाउ-३७-DPS P का लाग्र होना

भाउ-३८-राज्यों को कल्याणकारी

भाउ-३९-DPS P के प्रावधान

भाउ-३९-१-अ-शिविका

३९-b-उत्पादन के (वामीत्व

३९-c-धन के

३९-d-समान कार्य-समान वेतन

३९-e-वर्धो-सुसुदो

३९-f-टीका

३९-ग-गरिबपेवार्क

५०-पंचायत का गठन

५१-कारांशीधर. लोका

५२-न्यायसंगत. (ली)

५३-मजदुरी-न्यूनता

५३-का-प्रबधन

५३-ज-सहकारिता

आठ- ५५- U.S.C.

५५- ६ वर्ष- शिक्षा

५६- कार्य के दृष्ट

५७- पोषक तत्व

५८- पर्युपासन

५८- क- पर्यावरण

५९- ए- राष्ट्रीय

६०- कार्य पालिका

(६)- आ- नदी- दूरी